भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या. 2682
(जिसका उत्तर सोमवार, 17 मार्च, 2025/26 फाल्गुन, 1946 (शक) को दिया गया)

उस्मानाबाद में सीएसआर परियोजनाओं की प्रभावशीलता

2682. श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकरः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान उस्मानाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्येक क्षेत्र को आवंटित सीएसआर निधि और उसके उपयोग का ब्यौरा क्या है;
(ख) इन क्षेत्रों पर सीएसआर पहलों के प्रभाव का ब्यौरा क्या है;
(ग) आकांक्षी जिले उस्मानाबाद में सीएसआर के अंतर्गत पूरी हो चुकी और चल रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने उस्मानाबाद में सीएसआर परियोजनाओं की प्रभावशीलता का पता लगाने के लिए कोई मूल्यांकन किया है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): सीएसआर विधिक ढांचे के तहत सीएसआर निधि के आवंटन का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, एमसीए21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा की गई फाइलिंग के आधार पर, 2018-19 से 2022-23 तक पिछले पांच वित्तीय वर्षों (वित्त वर्ष) के लिए महाराष्ट्र में क्षेत्रवार सीएसआर व्यय अनुलग्नक-I में दिया गया है। संसदीय निर्वाचन क्षेत्रवार डाटा केंद्रीकृत रूप से नहीं रखा जाता है। तथापि, 2018-19 से 2022-23 तक पिछले पांच वित्तीय वर्षों के लिए महाराष्ट्र में जिलेवार सीएसआर व्यय अनुलग्नक-II में दिया गया है।

(ख): कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के नियम 8 में प्रावधान है कि तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों में 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक की औसत सीएसआर बाध्यता रखने वाली प्रत्येक कंपनी को एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से एक करोड़ रुपये या उससे अधिक के परिव्यय वाली अपनी सीएसआर परियोजनाओं और जो प्रभाव अध्ययन आरम्भ करने से कम से कम एक वर्ष पहले पूरी हो चुकी हों, का प्रभाव आकलन करना होगा। प्रभाव आकलन रिपोर्ट कंपनी के बोर्ड के समक्ष रखी जाएंगी और उन्हें सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न किया जाएगा। इस प्रकार प्रभाव आकलन कंपनी द्वारा किया जाता है और आकलन की समीक्षा उसके बोर्ड द्वारा की जाती है।

(ग): मंत्रालय पूरी हो गई/चल रही परियोजनाओं के अनुसार डाटा का विवरण नहीं रखता है। एमसीए21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा की गई फाइलिंग के आधार पर, महाराष्ट्र **के** उस्मानाबाद (धाराशिव) (आकांक्षी जिला) में पिछले पांच वित्तीय वर्षों (वित्त वर्ष) 2018-19 से 2022-23 तक सीएसआर व्यय का विवरण अनुलग्नक II में शामिल किया गया है।

जारी......2/-

(घ) और (ङ): सीएसआर एक बोर्ड संचालित प्रक्रिया है और कंपनी का बोर्ड अपनी सीएसआर समिति की सिफारिशों के आधार पर सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाने, उन पर निर्णय लेने, उनका निष्पादन करने और उनकी निगरानी करने के लिए अधिकृत है। कंपनी के बोर्ड को अपनी बोर्ड रिपोर्ट में कंपनी द्वारा कार्यान्वित की गई सीएसआर नीति का प्रकटन करना अपेक्षित है और कंपनी के बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस प्रकार वितरित की गई धनराशि का उपयोग उसके द्वारा अनुमोदित उद्देश्यों और उसी तरीके से किया गया है, और मुख्य वित्तीय अधिकारी या वित्तीय प्रबंधन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को इस आशय का प्रमाणन करना होगा। सीएसआर कार्यकलापों, प्रभाव आकलन आदि का विवरण कंपनियों द्वारा 'सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट' में दर्शाया जाना आवश्यक है, जिसमें सीएसआर पर वार्षिक कार्य योजना भी शामिल है जो कंपनी की बोर्ड रिपोर्ट का हिस्सा है। सरकार कॉर्पोरेट्स को किसी विशेष क्षेत्र या कार्यकलाप में व्यय करने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं करती है।

*****

अनुलग्नक- I

दिनांक 17.03.2025 के लिए लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2682 के भाग (क) में संदर्भित

2018-19 से 2022-23 तक महाराष्ट्र में सेक्टर-वार सीएसआर व्यय

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	सेक्टर	वित्त वर्ष 2018-19	वित्त वर्ष 2019-20	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23
1	कृषि वानिकी	1.76	2.38	2.97	5.66	5.84
2	पशु कल्याण	14.43	12.03	14.45	23.43	72.07
3	सशस्त्र बल,वयोवृद्ध , वीरांगनाएं/आश्रित	5.44	2.94	1.28	4.43	8.10
4	कला और संस्कृति	14.05	18.72	18.31	27.71	62.48
5	प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	16.49	22.24	10.44	43.45	76.66
6	शिक्षा	1271.93	1216.76	1460.21	1311.10	1667.91
7	पर्यावरणीय स्थिरता	139.06	171.87	150.99	334.92	298.18
8	लैंगिक समानता	19.45	18.28	9.02	17.17	33.81
9	स्वास्थ्य देखभाल	857.86	1072.17	1154.48	1869.57	2044.05
10	आजीविका संवर्धन परियोजनाएं	144.88	113.25	125.30	203.44	341.97
11	गरीबी, भूख उन्मूलन, कुपोषण	97.66	138.76	144.72	828.92	187.20
12	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	208.24	147.36	117.52	317.41	206.44
13	सुरक्षित पेयजल	46.69	28.25	15.81	23.16	25.53
14	स्वच्छता	39.11	46.17	25.82	42.47	37.72
15	वरिष्ठ नागरिक कल्याण	6.51	4.62	9.04	12.66	25.25
16	महिलाओं के लिए घरों और छात्रावासों की स्थापना	22.30	21.38	8.06	24.48	8.01
17	अनाथालय की स्थापना	3.17	1.37	4.85	6.79	11.50
18	स्लम क्षेत्र विकास	6.69	3.37	5.85	2.93	5.37
19	सामाजिक-आर्थिक समानता	39.73	41.46	16.98	23.70	31.75
20	विशेष शिक्षा	17.19	16.15	30.40	47.05	65.21
21	प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेटर	3.68	18.59	20.75	2.42	0.06
22	खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण	60.74	45.45	16.51	55.16	68.29
23	व्यावसायिक कौशल	77.30	131.35	53.85	105.78	140.66
24	महिला सशक्तिकरण	33.31	40.04	42.41	46.29	70.72
25	एनईसी/उल्लेख नहीं किया गया*	0.04	18.28	4.77	0.00	0.00
	कुल	**3147.72**	**3353.24**	**3464.81**	**5380.07**	**5494.77**

(31.03.2024 तक के आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ)

* कंपनियों ने या तो सेक्टर के नाम निर्दिष्ट नहीं किए या एक से अधिक सेक्टरों का उल्लेख किया जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं।

******

दिनांक 17.03.2025 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2682 के भाग (क) में संदर्भित

2018-19 से 2022-23 तक महाराष्ट्र में जिलेवार सीएसआर व्यय

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	**जिला**	**वित्त वर्ष 2018-19**	**वित्त वर्ष 2019-20**	**वित्त वर्ष 2020-21**	**वित्त वर्ष 2021-22**	**वित्त वर्ष 2022-23**
1	अहिल्यानगर	11.42	10.64	33.08	31.83	48.73
2	अकोला	0.86	1.50	0.55	2.43	2.06
3	अमरावती	3.36	10.51	2.75	8.85	20.83
4	बीड	3.48	3.13	2.70	11.34	16.21
5	भंडारा	2.65	4.98	4.16	2.25	5.05
6	बुलढाणा	1.26	2.31	1.33	23.71	3.37
7	चंद्रपुर	3.96	3.55	6.24	22.36	34.34
8	छत्रपति संभाजीनगर	18.68	66.69	73.46	95.40	121.56
9	धाराशिव	3.75	2.66	7.37	12.88	25.17
10	धुले	5.49	8.90	7.20	5.03	10.61
11	गढ़चिरौली	1.98	1.38	9.32	18.09	14.55
12	गोंदिया	5.29	5.76	0.44	1.13	0.41
13	हिंगोली	0.09	0.13	0.88	2.63	2.29
14	जलगाव	1.42	0.89	4.34	16.36	27.59
15	जालना	7.38	6.19	8.48	13.83	19.67
16	कोल्हापूर	8.19	10.67	16.21	16.48	16.85
17	लातूर	1.47	2.56	4.04	8.10	16.05
18	मुंबई शहर	70.27	276.83	394.15	2975.73	2763.44
19	मुंबई उपनगरीय	0.59	21.13	7.86	3.05	5.63
20	नागपुर	60.12	54.68	37.91	189.33	168.81
21	नांदेड़	0.35	0.24	2.63	6.71	8.15
22	नंदुरबार	4.06	8.71	23.27	24.92	30.37
23	नाशिक	29.00	38.39	74.51	76.41	122.27
24	पालघर	9.20	23.46	24.86	6.20	5.10
25	परभणी	0.01	0.15	0.39	1.38	3.56
26	पुणे	308.08	324.92	392.59	685.24	1052.92
27	रायगढ़	24.73	37.89	144.17	272.04	319.90
28	रत्नागिरी	20.94	21.58	20.14	15.69	43.88
29	सांगली	1.03	3.41	3.90	11.47	16.05
30	सातारा	24.55	12.79	20.07	40.12	65.31
31	सिंधुदुर्ग	0.10	2.02	2.92	2.34	6.14
32	सोलापुर	5.27	23.06	14.49	12.04	26.61
33	ठाणे	202.05	242.46	75.90	165.97	196.95
34	वर्धा	4.94	3.57	6.70	27.70	23.84
35	वाशिम	-	0.48	1.87	7.02	4.97
36	यवतमाल	0.50	3.05	5.44	7.75	8.22
37	जिले को अन्यत्र वर्गीकृत नहीं किया गया	2301.21	2111.97	2028.48	556.25	237.28
	कुल	**3147.72**	**3353.24**	**3464.81**	**5380.07**	**5494.77**

(31.03.2024 तक के आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ)

******